

12.34 PM  
19/07/19

### 13) लोक सभा निर्वाचन 2014/RD.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

[प्र० ८४-२क]

(नियम ४ देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-१

(मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में  
निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ। अभ्यर्थी का नाम ..... पिता/माता/पति  
का नाम ..... उसका डाक पता .....  
उसका नाम ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट] ..... विधान सभा  
निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ..... में क्रम सं० ..... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है जो ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
[में समाविष्ट] ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० ..... में क्रम सं० .....  
पर प्रविष्ट है।  
तारीख ..... (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-२

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 39. नवादा ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र  
से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम 39. नवादा छप्तुल बर्मी

पिता/माता/पति का नाम 39. नवादा छप्तुल सिंह

उसका डाक पता 39. नवादा छप्तुल, बाना-अंकरपुर, जिला-नवादा (विधायिका)

उसका नाम 39. नवादा ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र \*(में समाविष्ट) विधान सभा  
निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 281 ..... में क्रम संख्यांक 61 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के  
लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते  
हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्याक

क्र.सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	छिप्तुल विधानसभा -	281	223	मिलेश पांडे-मिश्र/पांडे	19/03/11	
2.	छिप्तुल विधानसभा -	281	198	जितेन्द्र सिंह-जितेन्द्र सिंह		
3.	छिप्तुल विधानसभा -	281	259	अवधेश मिंदे-अवधेश मिंदे		
4.	छिप्तुल विधानसभा -	281	254	ओकांडे-ओकांडे		
5.	छिप्तुल विधानसभा -	281	152	प्रसाद चूपार-प्रसाद चूपार		
6.	छिप्तुल विधानसभा -	281	173	विनम्र चूपार-विनम्र चूपार		
7.	छिप्तुल विधानसभा -	281	582	खुशेश मध्यो-खुशेश मध्यो		
8.	छिप्तुल विधानसभा -	281	182	मोला रिंद-मोला रिंद		
9.	छिप्तुल विधानसभा -	281	139	वेदनारामगांडी-वेदनारामगांडी		
10.	छिप्तुल विधानसभा -	281	255	दिनेश रिंद-दिनेश रिंद		

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक हाने चाहिए।

अधिसूचना सं० का० आ० 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्र० ८४-२क से २ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

### भाग 3

मैं, भाग1/भाग2 (जो लागू न हो उसे काट दे) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि –

- (क) मैंने 48 वर्ष की आयु पूरी कर ली है  
[नीचे (ख) (i) या (ख) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]
- (ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त साझीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।  
या
- (ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त सञ्जनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अध्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दे) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ..... (ii) ..... (iii) ..... हैं।
- (ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।
- (घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।  
\* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं \*\*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ..... राज्य के उस राज्य में के ..... (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित \*\*\*जाति/जनजाति है।  
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधरण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\*\*नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 19/03/2014

आजाद गीता पुनर्जीवन  
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

\*जमू—कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दशा में “मैं समादिष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” शब्द काट दीजिए।

\*\*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

\*\*\*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

\*\*\*\*जमू—कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :— “मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैति दल अभिप्रेत है।



39, नवादा

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क  
मैं आण ३ वीता ५ बात ३ बजे

आयु ४८ वर्ष, जो २३८-पट्टा-५३४३८, भाना-अकबरपुर जिला - नवादा, २१५५ - बिहार

\*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी मधुबुद्धन निंद

आम+पट्टा-५३४३८, भाना-अकबरपुर

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यगिता से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

(1) मैं किया गया अभ्यर्थी/\*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है। (\*\*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

\*\*जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम दियुषा विधान सभा (वीट) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं २४१ के क्रम सं ६१ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं ७७३९४८२४१२ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ... शुभम है। सोशल मीडिया अकाउंट - शुभम

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के बारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

Bihar 15.03.2014  
Bharat Bhushan Sinha

BHARAT BHUSHAN SINHA  
NOTARY, Govt. of Bihar  
Nawada

15 MAR 2014

-27- Book No 1862-

3324 1414763



[भाग 3क  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की —  
 (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों के लिए ; या  
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,  
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/नहीं

अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित।

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है - नहीं

यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक.....

लागू नहीं होता

- (ii) पुलिस थाना

(थाने) लागू नहीं होता

जिला (ज़िले) लागू नहीं होता

राज्य लागू नहीं होता

- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

लागू नहीं होता

- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें)

लागू नहीं होता

- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

लागू नहीं होता

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

लागू नहीं होता

- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं होता

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे :

हाँ/नहीं लागू नहीं होता

- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ लागू नहीं होता

- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे लागू नहीं होता

- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं लागू

नहीं होता

- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं होता

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लागू नहीं होता

स्थान : नवारा

तारीख : 19/03/2014

आजाद ग्रीता पुलार शाह  
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	ESPAAS 7924B	2013-2014	200000/
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ.)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं	शून्य



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है  
 पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:- ३२०८

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होता

(7) मैं पेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	i) अंड्रेज़ बैंक शुल्क नवाज़ा 24 साल - 3236 390625 ii) बैंक नियम शुल्क नवाज़ा 24 साल - 3290 101001835 21 अप्रैल - 5,000/- शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vi)	मोटररायन/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटररायन B.R-278 -0427 वर्ष - 2011 कीमत - 50,000/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुए) (भार और मूल्य के बौरे)	शुल्क	सौना-10मट भोजी-10मट बुलियन-50000 प्राचीनता	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1,80,000/-	5,00,000/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क
आर. स्थावर आस्तियों के बौरे						

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	प्रति या पली	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	कृष्णधार	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	५ एकड़	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता				
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
अनुमानित चालू बाजार मूल्य (ii) गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	50,000/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुल्क लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
अनुमानित चालू बाजार मूल्य विणियिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
अनुमानित चालू बाजार मूल्य आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता	लागू नहीं दोता
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	37,00/- 34,00/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
स्वर्जित संपत्ति की दशा में	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क



क्रय की तारीख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं दी गई	लागू नहीं दी गई	लागू नहीं दी गई	लागू नहीं दी गई	लागू नहीं दी गई
विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25,00,000/-	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(VI) पूर्वांक (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	65,00,000/- लप्ते	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति  पूर्वांक वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति  कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य आय-कर शोध्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि

धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका / संपति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दाधित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृति या उपजीविका के बौरे :

(क) स्वयं ..... वकाला व कैप

(ख) प्रति या पत्ती ..... डिग्री

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

विधि स्नातक, माध्य-विश्वविद्यालय विद्यग्रन्थ,  
नवाढ़ा विधि-माध्यविद्यालय, नवाढ़ा । वर्ष - 2008.

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रय के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रय पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

५७

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु— आजाद गिरा उजाद शर्मा				
2	डाक का पता	ग्राम+पो. - कुम्हार, बाजा - अकावल्लु, जिला - नवादा (विधान)				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	39, नवादा लोक सभा (विधान)				
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन्न)	मूल्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	मूल्य				
7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	ESAPS 7924(B)	2013-2014	200000/- मूल्य		
	(ख) पति/या पत्नी	मूल्य	मूल्य	मूल्य		
	(ग) आश्रित	मूल्य	मूल्य	मूल्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति/या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	180000/- मूल्य	500000/- मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
ख	स्थावर आस्तियां	650000/- मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य

Darleeta Dhasone

	I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	800000/ प्रत्येक	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं दीजा	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क)	स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	800000/ प्रत्येक	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	6500000/ प्रत्येक				
		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं दीजा	लागू नहीं दीजा	लागू नहीं दीजा	लागू नहीं दीजा	लागू नहीं दीजा
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	विद्या-स्नातक, मगांड विश्वविद्यालय बोधगामा, नवादा विद्यालय, नवादा। वर्ष - 2008।				
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

## सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति-सा पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19/03/2014 को सत्यापित किया गया।

आपृत गति पुलांशा

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में स्तंभ देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ या ‘ज्ञात नहीं’ जौं उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

“मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं २२३७५८२५१२

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है अंतर्मा

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है अंतर्मा

८४८ ८५०५१८ भा  
Dep  
१५१३१८